



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1936 (श०)
(सं० पटना 349) पटना, सोमवार, 9 मार्च 2015

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं

9 मार्च 2015

एस०ओ० 21, दिनांक 9 मार्च 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा—३क की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या—एस०ओ० 51, दिनांक 04.05.2006 (समय—समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 1 एवं 2 के स्तंभ 3 के वर्तमान प्रविष्टि “10 प्रतिशत” को प्रविष्टि “20 प्रतिशत” द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं।

(सं० सं०बिक्री—कर / संशोधन—02/2013—965)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

9 मार्च 2015

एस०ओ० 22, एस०ओ० 21, दिनांक 9 मार्च 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०बिक्री—कर / संशोधन—02/2013—966)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 9th March 2015

S.O. 21, dated the 9th March 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to substitute the present entry “10 percent” of column number (3) of serial number 1 and 2 of table appended to Departmental Notification Number S.O. 51 dated 04.03.2006 (as amended from time to time) by the entry “20 percent” with immediate effect.

(F. No. Bikri kar/Sansodhan-02/2013-**965**)

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 349-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>